न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 03 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
जेनाराम पुत्र लादाराम जाति राजपुरोहित निवासी कनाना तहसील पचपदरा जिला बालोतरा	1. सकुदेवी पत्नी शंकरजी 2. गंगा पुत्री शंकरजी 3. मोनिका पुत्री शंकरजी जाति राजपुरोहित निवासी कानाना 4. अमृतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 5. लालसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह 6. ओमसिंह उर्फ ओमप्रकाश पुत्र पृथ्वीसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तिरसिंगड़ी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 7. बाबुसिंह पुत्र मंगलसिंह 8. सुखदेवसिंह पुत्र मंगलसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सराणा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा 9. दुर्जनसिंह पुत्र छत्तरसिंह 10. श्रवणसिंह पुत्र दुर्जनसिंह 11. रूपकंवर पत्नी पन्नेसिंह जाति राजपुरोहित निवासी तिरसिंगड़ी तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा 12. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा पारलू 13. तहसीलदार भूमिधारक पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 197 / 2023 बअनवान शंकर बनाम जेनाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.12.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा उतरदाता संख्या 01 ता 03 की ओर से।
3. ब्रीफ हॉल्डर वकील श्री अनिल सोनी उतरदाता संख्या 04 ता 08, 10, 11 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—17.03.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा कनाना में भूमि खसरा संख्या 419, 423, 420,

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

421, 424, 425, 422, 426, 427, 430 अवस्थित रही है, जिसमें वादी/उतरदाता शंकरजी का 1/6 हिस्सा है। लेकिन संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से तथा बंटवारा नहीं होने के कारण भूमि की सीमाओं को लेकर पक्षकारान में आये दिन विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादी अपने 1/6 हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा कराना चाहता हैं। इस आशय का मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ बाहमी बंटवारे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुनवाई सबूत का अवसर दिये बाले–बाले ही पारित की गई। अपीलांट बीमार लकवाग्रस्त, अनपढ़, काश्त पेशा व्यक्ति है। वादी/उत्तरदातागण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर बाले बाले हम अपीलांट की बिना जानकारी के ही अपीलांट के कब्जा काश्त रहवासीय ढाणी, तारबंदी युक्त बेशकीमती भूमि को हड़प करने का उपक्रम किया गया है। खसरा संख्या 428 व 429 के संबंध में कोई प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.06.2024 को जारी नहीं की गयी थी, फिर भी विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध जाकर तैयार किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार होने के पश्चात आवेदन अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 सी पी सी का स्वीकार किया गया। अपीलांटस ने जिस समय नक्शे में हस्ताक्षर किये, उस समय नक्शे में विभाजन का कलर भरा हुआ नहीं था। अपीलांटस को आश्वस्त किया गया था कि जिस प्रकार मौके पर कब्जा, टयूबवैल अवस्थित है, उक्त बिंदु को ध्यान में रखकर विभाजन बाबत कलर नक्शे में भरा जायेगा, ताकि भविष्य में कोई विवाद नहीं हो, किन्तु नक्शे में जो कलर भरा गया वो कब्जे की स्थिति के विपरीत था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपति पेश की गई जिस पर गौर किये बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। राजस्थान टिनेन्सी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः–

RRT 2024(2) Page 1360
RRT 2022-23(Supp.) Page 579
RRT 2022-23(Supp.) Page 653
RRT 2022-23(Supp.) Page 567
RRT 2011(20 Page 1129
RRT 2012(1) Page 658
RRT 2016(2) Page 966
RRT 2022-23(Supp.) Page 266
RRT 2023(1) Page 476
RRT 2022-23(Supp.) Page 653

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह विधि सम्मत है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की उपस्थिति में हल्का पटवारी व आर. आई. के साथ तहसीलदार पचपदरा स्वयं द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार तैयार किया गया है विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। उक्त प्रस्ताव टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 से 21 के अनुसार विधि सम्मत है। वादी शंकर के कोई पुत्र नहीं होने से उसके खातेदारी अधिकारी की भूमि को हड़प करने की नियत से हस्तगत अपील के जरिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपीलांट द्वारा चुनौती दी गई। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवारा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है। सहखातेदारों के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

उतरदाता संख्या 04 ता 08, 10, 11 के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया गया। अपीलांट स्वयं ने विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं। विभाजन प्रस्ताव अपीलांट को स्वीकार होने से हस्ताक्षर किये, इसलिए अपीलांट द्वारा अपील के जरिये की गई आपति गैर वाजिब है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अनावश्यक चुनौती देनी की मंशा से अपीलांटस द्वारा हस्तगत अपील पेश की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से सभी खातेदार संतुष्ट हैं। विभाजन प्रस्ताव तैयार किया उस समय तक सभी संतुष्ट थे। उसके पश्चात झूठे आधार लेकर अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई हैं। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट अधिवक्ता की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट स्वयं के हस्ताक्षर हैं। अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया कि अपीलांट को नक्शे में रंग भरने से पूर्व हस्ताक्षर कराये गये उक्त तथ्य विश्वास लायक नहीं है। अपीलांट द्वारा किये कथनों पर विश्वास किया जाता है तो फिर प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना संभव ही नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तक्षार के संबंध में किये गये कथन में कोई सार नहीं है। अपीलांट को छोड़कर समस्त वादी एवं प्रतिवादी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से संतुष्ट हैं। अपीलांट की आपत्तियों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निस्तारण किया गया। अपीलांट द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए बंटवारा प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया उसके पश्चात स्वीकारोक्ति से मुकर जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए अंतिम डिक्री पारित की गई उसे बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 24.12.2024 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद एवं अपील के साथ ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया गया जिसके अनुसार अपीलांट जोत का बंटवारा चाहता हो। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैं और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 197/2023 बअनवान शंकर बनाम जेनाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.12.2024 को यथावत रखा जाता है।

12/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 17.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/3/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर